संख्या-841/2018/1868/22-2-2018-17(318)/2009

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 नवम्बर, 2018***

विषय आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अब्दुल वसीम पुत्र श्री अब्दुल मोवीन निवासी जनपद-लखनऊ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-07.08.2018 दिनांक 06.09.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अब्दुल वसीम पुत्र श्री अब्दुल मोवीन, जो- नि0-मो0 आजाद नगर आलमबाग, थाना-कृष्णानगर, वर्तमान पता- भूइयन देवी मन्दिर न्यू पारा कालोनी ताल कटोरा, जनपद-लखनऊ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पैसे के लेन-देन के कारण दिनांक 02.05.1994 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर 01 नाबालिग बच्चे की हत्या कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-340/1994 में भा0द0वि0 की धारा- 302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ के आदेश दिनांक 19.02.1998 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.09.1999 द्वारा मृत्युदण्ड को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 07.05.2018 तक 23 वर्ष 02 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 28 वर्ष 02 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अब्दुल वसीम (बन्दी संख्या-14491) पुत्र श्री अब्दुल मोवीन निवासी जनपद-लखनऊ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-841/2018/1868(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in